

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

|          |                                                   |
|----------|---------------------------------------------------|
| सं० 115] | नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 1977/आषाढ़ 21, 1899 |
| No 115]  | NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 1977/ASADHA 21, 1899 |

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

---

**MINISTRY OF COMMERCE**

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

**PUBLIC NOTICE**

*New Delhi, the 12th July 1977*

**SUBJECT.**—Import of (i) Fruits dried, salted or preserved n.o.s excluding Dates (S. No. 21(a)(i)/IV), (ii) Asafoetida (Hing), (S. No. 31(b)/V), (iii) Cummin Seeds (S. No. 37/IV) and (iv) Medicinal Herbs (S. No. 87-109/IV) from Afghanistan and counter-exports of goods from India, under Indo-Afghan Trade Arrangement, from 1-8-76 to 31-7-1977.

**No. 46-I.T.C (PN)/77** —Attention is invited to para 6 of the Ministry of Commerce Public Notice No. 109-I.T.C(PN)/76 dated 3rd November, 1976, containing the policy and procedure for import of dry fruits, asafoetida, cummin seeds and medicinal herbs from Afghanistan and export of commodities from India to Afghanistan.

2. It has since been decided to extend the last date mentioned in para 6 referred to above for issue of CCPs for import of dry fruits from 30-6-77 to 27th July, 1977.

3. The last date for making applications or the last date for making imports will, however, remain unchanged

A. S. GILL,  
Chief Controller of Imports & Exports.

## वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 1977

**विषय.**—1-8-76 से 31-7-1977 तक भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत अफगानिस्तान से (i) खजूर को छोड़ कर फलों, सूखे, नमकीन या परिरक्षित जो अन्यथा कहीं विशिष्टिकृत नहीं [क्रम सं० 21(ए)(ii),iv], (ii) हींग [क्रम सं० 31 (बी)/V] और, (iii) जीरे के बीज (क्रम सं० 37,iv) और (iv) औषध बूटियों (क्रम संख्या 87-109,iv) का आयात और भारत से माल का प्रति निर्यात ।

संख्या 46-आई टी सी (पीएन)/77.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 109-आई टी सी (पीएन)/76 दिनांक 3 नवम्बर, 1976 की कड़िका 6 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें अफगानिस्तान से सूखे फलों, हींग, जीरा-बीज और औषध बूटियों के आयात और भारत से अफगानिस्तान को पण्यवस्तुओं के निर्यात की नीति बताई गई थी ।

2 यह निश्चय किया गया है कि सूखे फलों के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी करने के लिए उपर्युक्त उल्लिखित कड़िका 6 में निहित अन्तिम तिथि को 30-6-77 से बढ़ाकर 27 जुलाई, 1977 कर दिया जाए ।

3. लेकिन आवेदन पत्र भेजने की अन्तिम तारीख या आयात करने की अन्तिम तारीख अपरिवर्तनीय रहेगी ।

ए० एम० गिल,

मुख्य निर्यातक, आयात-निर्यात ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा निर्यातक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977